मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 209 / आर 44 / 17 / ब–1 / चार भोपाल दिनांक 5 / 03 / 2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
समस्त विभाग
मंत्रालय।

विषयः–परियोजना परीक्षण समिति एवं वरिष्ठ सचिव समिति की बैठकों के निर्णय अनुसार मंत्रि–परिषद में सीधे संक्षेपिका प्रस्तुत करने के संबध में निर्देश।

–::–

विषयांतर्गत परियोजना परीक्षण समिति एवं वरिष्ठ सचिव समिति में लिए गए निर्णयों के अनुसार मंत्रि–परिषद से आदेश प्राप्त करने वाले कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्यनियम के अनुसार मंत्रिपरिषद संक्षेपिका में वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त न करते हुए मंत्रिपरिषद संक्षेपिका को सीधे ही निर्णय हेतु प्रस्तुत की जा रही है। जबकि नियमतः मंत्रिपरिषद संक्षेपिका पर वित्त विभाग से अभिमत प्राप्त किया जाना चाहिए ।

अतः ऐसे समस्त प्रकरण जिसमें वित्तीय आलिप्तियां हों उन प्रकरणों को मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व मंत्रि–परिषद संक्षेपिका पर वित्त विभाग का अभिमत अनिवार्यतः प्राप्त किया जायें ।

अजीत 2.3.17

(ए.पी.श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग